न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 199/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1 रामस्वरूप पुत्र स्व. जोगाराम 2. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व. जोगाराम निवासी– दिलीप नगर, लालसागर, जोधपुर। 3. चन्द्रशेखर पुत्र स्व. जोगाराम 4. दामोदर पुत्र स्व. जोगाराम 5. निर्मला पुत्री स्व. जोगाराम निवासी– गोपी का बेरा, मण्डोर, जोधपुर। 6. शारदा पुत्री स्व. जोगाराम पत्नी सन्तु जी उर्फ सत्यनारायण माली निवासी– बिजवाडिया, तहसील तिवरी, जोधपुर।		1. देवेन्द्र पुत्र स्व. खेताराम 2. कुलदीप पुत्र स्व. खेताराम 3. पदमादेवी उर्फ सुगना बेवा स्व. खेताराम जातियान मालीयान निवासी– बासनी तम्बोलिया तहसील जोधपुर। 4. माधोसिंह उर्फ माधूराम पुत्र स्व. कालूराम 5. श्रीमती शांति पत्नी स्व. कालूराम जातियान मालीयान निवासी– बासनी तम्बोलिया तहसील जोधपुर। 6. ग्राम पंचायत सुरपुरा जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.09.2019 जो रिमाण्ड प्रकरण संख्या 21/2019 अनवान देवेन्द्र वगैराह बनाम रामस्वरूप वगैराह में तहसीलदार, जोधपुर द्वारा में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री गुलाब सिंह चम्पावत, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री राजकुमार पारिक, अधिवक्ता, रेस्पो.सं. 1 ता 4 की ओर से।
3– शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना तामीली के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 10 जुलाई, 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खोखरिया तहसील जोधपुर के ख0सं0 22 रकबा 13.09 बीघा, ख0सं0 172/1 रकबा 35.09 बीघा कालूराम पुत्र खूमाराम माली के बंट में बंटवाडा आदेश के जरिये प्राप्त होने पर नामा0 संख्या 68 दिनांक 12.8.1974 को स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात कालूराम पुत्र खुमाराम का देहान्त होने पर फौतेदगी नामा0 संख्या 8 शान्ति बेवा कालूराम व रेस्पोडेन्ट के पिता खेताराम व माधोसिंह के नाम नामा0 संख्या 285 दिनांक 27.7.98 को ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया जिसे निरस्त किया जावे परन्तु उपरोक्त खसरान भूमि का एक अन्य नामा0 रेस्पो0 संख्या 1 से 6 यानि वर्तमान अपीलान्टस के द्वारा नामा0 संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 को अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया जिसे निरस्त किया जावें। उक्त प्रथम अपील को उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 31.10.2019 को आदेश पारित कर तहसीलदार, जोधपुर को ग्राम पंचायत, सुरपुरा के द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 को निरस्त करते हुए मौजा खोखरिया के ख0सं0 22 व 172/1 में

समस्त विधिक वारिसानों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार नामान्तरकरण करने के आदेश पारित किये, उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 21/2019 दर्ज कर पक्षकारान की सुनवाई पश्चात दिनांक 03.09.2019 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पटवारी सुरपुरा को आदेशित किया कि वह राजस्व रेकार्ड में देवेन्द्र, कुलदीप पुत्र स्व0 खेताराम, पदमादेवी उर्फ सुगना बेवा स्व. खेताराम, माधोसिंह उर्फ माधुराम पुत्र स्व. कालूराम, श्रीमती शांति बेवा कालूराम माली के नाम अमल दरामद करें। तहसीलदार, जोधपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस के द्वारा यह अपील पेश की है।

दौरान सुनवाई अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के द्वारा तहसीलदार जोधपुर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि ख0सं0 22 व 172/1 के सम्बन्ध में समस्त विधिक वारिसानों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करने का आदेश प्रदान किया था। तहसीलदार जोधपुर ने रिमाण्ड आदेश की पालना में दिनांक 7.9.2019 को उक्त प्रकरण दर्ज किया तथा रेस्पोडेन्टस के बयान लिये परन्तु अपीलान्टस को नोटिस जारी ही नहीं किये गये व न ही सुनवाई का मौका दिया तथा तहसीलदार जोधपुर ने एकतरफा आदेश पारित कर प्राकृतिक सिद्धान्तों का खुला उल्लंघन किया है, ऐसे में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बयान लिये परन्तु अपीलान्टस को जिरह करनेका मौका नहीं दिया, साक्ष्य अधिनियम के तहत अगर गवाह से जिरह नहीं की जाती है तो ऐसे गवाहों के बयान को साक्ष्य में नहीं पढा जा सकता है। रेस्पोडेन्ट का वाद खातेदारी घोषणा भी उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के वहॉ बाद सुनवाई दिनांक 27.04.2012 को खारिज हो चुका है। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश की थी जो अपील स्वीकार होकर दिनांक 20.02.2013 को उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर को रिमाण्ड किया था जिसमे उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर ने रेस्पोडेन्टस का दावा पुनः दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई करते हुए दिनांक 7.1.2019 को दावा खारिज कर दिया। सक्षम न्यायालय से दावा खारिज होने क बाद रस्पाडन्टस ने प्रथम म्युटेशन अपील पेश की थी। म्युटेशन प्रोसिडिग्स फिसकल प्रोसिडिग्स है उसमें हक व अधिकार तय नही होते रेस्पोडेन्ट का दावा खातेदारी घोषणा खारिज हो चुका है। इस कारण से म्युटेशन संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 को स्वीकृत हुआ के सम्बन्ध में कानूनन अपील नहीं हो सकती है और म्यूटेशन प्रोसिडिंग्स स्वतः खारिज हो गयी है। मातहत अदालत तहसीलदार जोधपुर ने उक्त कानूनी बिन्दु पर गौर नही किया और अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्टस को वारिसान नहीं मानते हुए रेस्पोडेन्टस के पक्ष में आदेश पारित कर दिया जबकि म्यूटेशन प्रोसेडिंग्स में किसी भी खातेदार के हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त खसरान की सम्पूर्ण भूमि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस की संयुक्त खातेदारी की थी। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस ने

ग्राम खोखरिया तहसील जोधपुर के ख0सं0 22 रकबा 13.09 बीघा, ख0सं0 172/1 रकबा 35.09 बीघा भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार जोधपुर ने दोनों खातेदारों की आपसी सहमति से बंटवाडा आदेश दिनांक 18.1.2011 को पारित किया व नामा0 संख्या 1753 दिनांक 19.1.2011 को स्वीकृत किया गया तथा उक्त बंटवाडा में रेस्पोडेन्टस ने अपीलान्टस की भूमि में संयुक्त सहखातेदारी मानते हुए बंटवाडा करने की सहमति दी। इस कारण रेस्पोडेन्टस उज्र एतराज करने से एस्टोप्ड है तथा रेस्पोडेन्टस का दावा भी खारिज हो चुका है। इस कारण पूर्व में वर्ष 2008 में जो म्यूटेशन कार्यवाही हो चुकी है उसके आधार पर बाद की कार्यवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बंटवाडा में आपसी सहमति से ही अपीलान्टस के हक–अधिकार तय हुए है एवं अपीलान्टस के हक व हिस्से में ख0सं0 172/3 रकबा 4.18 बीघा भूमि रखी गई है। रेस्पोडेन्टस ने आज दिनांक तक बंटवाडा आदेश को चुनौती नहीं दी गई है तथा न ही उसकी पालना में स्वीकृत नामा0 की अपील की है। इस कारण से रेस्पोडेन्टस आज भी उक्त खसरान भूमि में वारिसान के रूप में हक व अधिकार प्राप्त कर चुके है। उक्त आदेश को नजरअंदाज करते हुए तहसीलदार, जोधपुर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त करने योग्य है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि बंटवाडा आदेश दिनांक 19.01.2011 एवं नामा0 संख्या 1353 की पालना में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 में अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस के नाम अलग–अलग खातेदारी में दर्ज हो चुके है। ऐसे में उक्त सारे रेवेन्यू रेकर्ड व सक्षम न्यायालय के आदेशों को नजर अंदाज करते हुए वर्ष 2008 में स्वीकृत नामा0 के आधार पर अपीलान्टस के खातेदारी अधिकारी समाप्त कर दिये गये है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जावे एवं तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.3.2019 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत कि जिसमें ग्राम खोखरिया तहसील जोधपुर के ख0सं0 22 रकबा 13.09 बीघा, ख0सं0 172/1 रकबा 35.09 बीघा कालूराम पुत्र खूमाराम माली के बंट में बंटवाडा आदेश के जरिये प्राप्त होने पर नामा0 संख्या 68 दिनांक 12.8.1974 को स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात कालूराम पुत्र खुमाराम का देहान्त होने पर फौतेदगी नामा0 संख्या 8 शान्ति बेवा कालूराम व रेस्पोडेन्ट के पिता खेताराम व माधोसिंह के नाम नामा0 संख्या 285 दिनांक 27.7.98 को ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया जिसे निरस्त किया जावे परन्तु उपरोक्त खसरान भूमि का एक अन्य नामा0 रेस्पो0 संख्या 1 से 6 यानि वर्तमान अपीलान्टस के द्वारा नामा0 संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 को अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया जिसे निरस्त किया जावें।

उक्त प्रथम अपील को उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 31.10.2019 को आदेश पारित कर तहसीलदार, जोधपुर को ग्राम पंचायत, सुरपुरा

खोखरिया के ख0सं0 22 व 172/1 में समस्त विधिक वारिसानों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार नामान्तरकरण करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 21/2019 दर्ज किया गया। तहसीलदार, जोधपुर द्वारा सभी पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये एवं पटवारी हल्का से भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की। तत्पश्चात देवेन्द्र व सुगना के बयान लिये गये। अन्य पक्षकार माधुराम पुत्र कालूराम एवं श्रीमती शान्ति पत्नी स्व0 कालूराम, कुलदीप पुत्र स्व. खेताराम उपस्थित हुए जिनके द्वारा दिये गये बयान लिये गये। इन सभी उपस्थित पक्षकारान के द्वारा नामा0 संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 को निरस्त करने व उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के आदेश दिनांक 13.05.2019 के अनुसार राजस्व रेकार्ड में देवेन्द्र, कुलदीप पुत्र स्व. खेताराम, पदमादेवी उर्फ सुगना बेवा स्व. खेताराम, माधोसिंह उर्फ माधुराम पुत्र स्व. कालूराम, श्रीमती शान्ति बेवा स्व0 कालूराम जाति माली के नाम अमल दरामद किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना बताया। अन्य पक्षकारान अनुपस्थित रहे।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार जोधपुर के द्वारा प्रकरण में ग्राम पंचायत सुरपुरा के द्वारा पारित नामा0 संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 को स्वीकार करने से पूर्व पक्षकारान को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व0 तुलछियों बेटो खुमाराम का जब नामा0 संख्या 68 के जरिये बंटवाडा हो जाने व ख0सं0 22 व 172/1 की जमीन कालूराम पुत्र खूमाराम के बंट में अन्तिम रूप से आ जाने के पश्चात दुबारा तुलछीयों बेटा खूमाराम का नाम नामा0 संख्या 761 में नहीं आना चाहिये, के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 03.09.2019 को यह आदेश पारित किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पटवारी सुरपुरा को आदेशित किया कि वह राजस्व रेकार्ड में देवेन्द्र, कुलदीप पुत्र स्व0 खेताराम, पदमादेवी उर्फ सुगना बेवा स्व. खेताराम, माधोसिंह उर्फ माधुराम पुत्र स्व. कालूराम, श्रीमती शांति बेवा कालूराम माली के नाम अमल दरामद करें। इस प्रकार तहसीलदार जोधपुर के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत सुरपुरा के द्वारा नामा0 संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 को स्वीकृत करने में कानूनी भूल की है क्योंकि नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया और बिना सुने उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। स्व. कालूराम के वारिसान के हक में भरे नामा0 संख्या 285 के बारे में कोई गौर नहीं किया। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस स्व0 कालूराम व तुलछाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान से भूमि पर काबिज है। श्रीमती कमला देवी का देहान्त वर्ष 1997 में हो गया, जोगाराम का भी देहान्त हो चुका है। ग्राम पंचायत सुरपुरा ने बिना वारिसान की जॉच किये ही नामा0 स्वीकृत कर दिया था जो निरस्त होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जोधपुर ने भी माना कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व0 तुलछीयों बेटो खूमाराम का जब नामा0 संख्या 68 जरिये बंटवाडा हो चका था जिसमें खसरा संख्या 22 व ख0सं0 172/1 की जमीन कालूराम

पुत्र खूमाराम के बंट में अंतिम रूप से रख दी गई तो फिर दुबारा तुलछियों बेटो खुमाराम का नाम नामा0 संख्या 761 में नहीं आना चाहिये था, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्टस ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर गलत इन्द्राज करवा दिया जो नामा0 स्वतः ही काबिले निरस्ती के थो, जो विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है एवं अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस के मध्य तहसीलदार, जोधपुर के आदेश दिनांक 18.1.2011 के जरिये आपसी सहमति से बंटवाडा निष्पादित किया गया, तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग खाते, खसरे व अन्य इन्द्राजात प्रविष्ट हुए। सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के राजस्व वाद संख्या 401/2011 में आदेश दिनांक 27.4.2012 के अनुसार "वर्तमान वाद में जो वादीगण है, उक्त दोनों वादीगण पूर्व वाद में भी वादीगण ही थे। पूर्व वाद में जरिये राजीनामा विड्रो करवा लिया था तथा सभी विवादित भूमि के सहखातेदारों ने आपसी सहमति से तहसीलदार, जोधपुर के समक्ष आपसी सहमति से बंटवाडा इकरारनामा प्रस्तुत कर भूमि का विभाजन करवा कर अलग–अलग काबिज हो चुके है। पूर्व वाद में जरिये विड्रो खारिज करवाये जाने के पश्चात पुनः दावा नहीं ला सकते तथा आपसी सहमति से किये गये बंटवाडा आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। वादीगण द्वारा वर्तमान वाद धारा 11 सीपीसी के तहत विधि द्वारा बाधित होने से प्रार्थना पत्र प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।" नामा0 संख्या 68 दिनांक 12.8.1974 के कॉलम संख्या 5 में तुलछीराम पुत्र खूमाराम माली दर्ज है व नामा0 संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 के कॉलम संख्या 7 में तुलछियो बेटा खुमा रो जात से माली दर्ज है व तुलछाराम पुत्र खुमाराम के लाऔलाद फौत होने का विवरण भी नामान्तरकरण में दर्ज है। तुलछाराम पुत्र खुमाराम के लाऔलाद फौत होने की दशा में सुसंगत न्यायिक प्रावधानों व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विधिक वारिसानों की जॉच पश्चात प्रविष्टि राजस्व रेकर्ड में आनी चाहिये, न कि अकेले एक भाई के वारिसान का इन्द्राज होना चाहिये। उक्त परिप्रेक्ष्य में ही नामान्तरकरण संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 भरा जाना पाया गया है व उक्त इन्द्राजात भी आपसी सहमति से हुए बंटवाडा दिनांक 18.1.2011 का हिस्सा है। आपसी सहमति से दिनांक 18.1.2011 को बंटवाडा हो जाने के पश्चात वर्ष 2019 में नामा0 संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 को चुनौती देना विधि विरूद्ध होने के साथ–साथ रेस्पोडेन्टस की मंशा पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है। उक्त विवेचन पश्चात व विश्लेषण के मध्यनजर चूंकि उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर का आदेश दिनांक 13.5.2019 ही उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.5.2019 काबिल खारिज योग्य पाया गया है।

अतः उक्त विवेचन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विश्लेषण के मध्यनजर

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.9.2019 को खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 10 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर